Sixteenth Loksabha

an>

Title: The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs and Minister of State in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation made statement regarding Government Business during the week commencing the 30th July 2018 and Submissions made by the members.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, with your permission I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 30th July, 2018 will consist of: -

Consideration and passing of the following Bills:

The Dentists (Amendment) Bill, 2017;

The Representation of People (Amendment) Bill, 2017;

The Consumer Protection Bill, 2018;

The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018;

The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016;

The Surrogacy (Regulation) Bill, 2016;

The National Medical Commission Bill, 2017;

The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018;

The Micro Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2018;

The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018;

The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2017; and

The Major Port Authorities Bill, 2016.

Further discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 (No. 4 of 2018) and further consideration and passing of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2018.

Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2018 (No. 2 of 2018) and consideration and passing of the Criminal Law (Amendment) Bill, 2018.

Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Ordinance, 2018 (No. 6 of 2018) and consideration and passing of the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill, 2018.

Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Ordinance, 2018 (No. 3 of 2018) and consideration and passing of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Bill, 2018.

Consideration and Passing of the Constitution (One Hundred and Twenty Third Amendment) Bill, 2017 as returned by Rajya Sabha with amendment.

Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the National Sports University Ordinance, 2018 (No. 5 of 2018) and consideration and passing of the National Sports University Bill, 2018.

Consideration and passing of the Appropriation Bills relating to following Demands after their presentation, consideration and adoption: -

1. Supplementary Demands for Grants for 2018-19.

2. Demands for Excess Grants for 2015-16.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए:-

1. गुजरात में सिंधु संस्कृति का जाना-पहचाना पुरातत्वीय स्पॉट लोथल में भारत सरकार द्वारा मेरी टाइम यूनिवर्सिटी म्युजियम बनाने की योजना तय हुई है। इसे जल्द से जल्द कार्यान्वित किया जाए।

2. गुजरात स्थित सुविख्यात सूर्य मंदिर मोढेरा जो एक पुरातत्वीय स्पॉट है, इसके सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा धन आबंटित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, 30 जुलाई 2018 से शुरू होने वाले सप्ताह में चर्चा के लिए निम्न विषय जोड़े जाएं:

1. भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र से गुजरने वाले एन.एच. 79 पर विभिन्न स्थानों पर अंडर पास बनवाने की आवश्यकता के बारे में।

2. वस्त्र उद्योग के जॉब वर्क के लिए जी.एस.टी. में भरने वाले फॉर्म के फाइल आई.टी.आर. 4 में आने वाली समस्याओं के बारे में।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:-

1. देश के किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही दयनीय होती जा रही है। किसान कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं क्योंकि उनको फसल से उतनी आमदनी नहीं होती जितनी उनकी लागत लगती है। जब फसल तैयार होती है तो रेट आधे हो जाते हैं और लेने वाला कोई नहीं होता। एमएसपी सिर्फ कागजी सूचना बनकर रह गया है। शादी-ब्याह, खेती के औजार, ट्रैक्टर आदि खरीद के लिए उन्हें अपने खेतों को गिरवी रखना पड़ता है। अत: सरकार किसानों को विशेष योजना के तहत पूर्ण कर्ज माफ करे और ब्याज-मुक्त ऋण देने का भी प्रावधान करे। साथ ही विशेषकर छोटे और मझोले किसान, जो साहूकारों के कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उन्हें भी आर्थिक मदद दी जाए।

2. पूरे देश में खेती पर आधारित कृषि-श्रमिकों की दशा बहुत ही खराब है। इनकी संख्या देश भर में 55 से 58 प्रतिशत है। हमारी खेती मौसम पर आधारित है जिससे कृषि-श्रमिकों को बराबर रोजगार नहीं मिलता है, विशेषकर महिला कृषि-श्रमिक की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनके छोटे-छोटे बच्चे बिलखते रहते हैं। कुछ मदद मनरेगा से हो जाया करती थी परंतु अब 'मनरेगा' भी सुचारू रूप से नहीं चलती है क्योंकि सरकार पूरा फंड ही नहीं दे रही है। बिहार जैसे गरीब राज्यों की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। अत: केन्द्र सरकार कृषि श्रमिकों को पेंशन की तर्ज पर मासिक-भत्ता देने की योजना बनाकर उनके परिवार के निर्वहन की व्यवस्था करे। धन्यवाद।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का अनुरोध करता हूं:-

1. जनपद लखीमपुर में बेलरॉया-पनवारी राज्य महामार्ग को राष्ट्रीय महामार्ग (जिसका प्रस्ताव उ.प्र. सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है) स्वीकृत कर उक्त मार्ग पर निघासन ब्लॉक में स्थित पचपेड़ी घाट के पुल का निर्माण कराने पर विचार किया जाए।

2. गृह मंत्रालय ने पूरे देश के सभी पुलिस स्टेशनों को जोड़ते हुए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम कार्यान्वित किया है जिससे अपराधी को पकड़ने में सफलता मिली है परंतु अभियोजन के स्तर पर प्रक्रिया शिथिल होने के कारण बड़ी संख्या में अपराधी न्यायालयों से बच निकलते हैं। अत: अभियोजन न्यायालयों में प्रदर्शन तथा अपराधियों को सजा दिलाने हेतु न्यायालय में पैरोकारी सशक्त किए जाने पर विचार किया जाए। धन्यवाद।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): अध्यक्ष महोदया, एक दुर्घटना घटी है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, ऐसा नहीं होता है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। क्या जीरो आवर समाप्त हो गया है। आप बैठ जाइए, हम आपको बुलाएंगे।

…(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत : अध्यक्ष महोदया, 30 लोग मर गए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। आपके चिल्लाने से मैं आपको नहीं बुलाऊंगी। आप शांति से बैठ जाइए। हम आपको बुलाएंगे।

…(व्यवधान)